L. A. BILL No. XVIII OF 2022.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १८, सन् २०२२।

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य विधानमंड़ल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०२२, २७ जुलाई २०२२ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् १९५९ का ३।
सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ५।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह २७ जुलाई २०२२ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९५९ का महा. ३ की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १३ की,— सन् १९५९ का ३।

(१) उप-धारा (१) में, " संबंधित ऐसी सूची " शब्दों के स्थान में " संबंधित ऐसी सूची और, सीधे निर्वाचित किए जानेवाले **पंचायत** के **सरपंच** " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

(२) प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में हैं और जो, प्रत्येक आम निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिये नामनिर्देशन करने के लिये नियत किये गये अंतिम दिनांक पर २१ वर्ष की आयु से कम न हो, जब तक की, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, निरर्ह नहीं होगा, तब तक ग्राम के किसी प्रभाग के सदस्य के रूप में या **पंचायत के सरपंच** के लिये निर्वाचित होने के लिये अर्ह होगा। कोई व्यक्ति, जिसका नाम ऐसे ग्राम की मतदाता सूची में प्रविष्ट नहीं हैं, गाँव के किसी प्रभाग के सदस्य के रूप में या **पंचायत** के **सरपंच** के लिये निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा।"।

सन् १९५९ का महा. ३ की धारा १५ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १५ की, उप-धारा (२) में, " धारा ११ " शब्द और अंकों के स्थान में, " धारा ११ या, यथास्थिति, धारा ३०क-१क " शब्द, अंक, तथा अक्षर रखे जायेंगे।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३०क-१क में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३०क-१क की, उप-धारा (१) में, " महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०१७ " शब्दों और अंकों के स्थान में, " महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (संशोधन) अधिनियम, २०२२ " शब्द और अंक रखे जायेंगे। सन् २०१८ का महा. ५४। सन् २०२२ का महा. ।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३०क-१ख का अपमार्जन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३०क-१ख अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३५ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ३५ की,–

(१) उप-धारा (१क) अपमार्जित की जायेगी ;

(२) उप-धारा (३) उसके खण्ड (क) के रुप में पुनः- अक्षरांकित की जायेगी और इसप्रकार पुनः अक्षरांकित किए गए खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ख) सीधे निर्वाचित **सरपंच** के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के पश्चात्, सदस्यों, की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत द्वारा जो तत्समय **पंचायत** की किसी बैठक में बैठने और मत देने के लिये हकदार है तब ग्राम सभा द्वारा बुलाई गयी विशेष बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित होने के पंद्रह दिनों के भीतर, इस निमित्त कलक्टर द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा, ऐसे अधिकारी की उपस्थिति और अध्यक्षता के अधीन सिरों की गणना पद्धति द्वारा, साधारण बहुमत से इसकी पुष्टि की जायेगी। **ग्राम सभा** द्वारा प्रस्ताव की ऐसी पुष्टि करने के पश्चात्, **सरपंच** पद की सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों और सभी कर्तव्यों का अनुपालन करना तुरंत बंद करेगा और तदुपरांत ऐसी शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य **उप-सरपंच** में निहित होंगे ; और **सरपंच** और **उप-सरपंच** दोनों

के विरूद्ध प्रस्ताव लाया गया है के मामले में, ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा जिसे प्राधिकृत किया जाए ऐसे विस्तार अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अधिकारी में, उप-धारा (३ख) के अधीन निर्दिष्ट विवाद यदि कोई हो, विनिश्चित किया है : "।

७. मूल अधिनियम की धारा ४३ की, उप-धारा (१) में द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :– सन् १९५९ का ३ की धारा ४३ में संशोधन।

" परंतु आगे यह कि, इस उप-धारा के अधीन सीधे निर्वाचित सरपंच का पद यदि रिक्त होता है तब ऐसी रिक्ति के दिनांक से छह महीनों के भीतर, धारा ३०क-१क में अधिकथित रीत्या में, निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा। "।

८. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा जैसा अवसर उद्भूत हो, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ना हो, ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि अवसित होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नही बनाया जायेगा।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंड़ल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०२२ का महा. अध्यादेश क्रमांक ५ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

९. (१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२२ का महा. ५।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (सन् १९५९ का ३) की धारा ३० के उपबंधों के अनुसार, **सरपंच** पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और में से निर्वाचित होता है। सम्यक् विचार विमर्श के पश्चात्, गाँव के पात्र मतदाताओं से **पंचायत** के **सरपंच** पद के लिए सीधे निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृत करना आवश्यक समझा गया था जिससे **पंचायत** के कार्यों में स्थिरता आयेगी।

२. यह उपबंध करना भी इष्टकर समझा गया था कि, सीधे निर्वाचित **सरपंच** के विरुद्ध का अविश्वास प्रस्ताव **ग्राम सभा** में सिरों की गणना पद्धति द्वारा साधारण बहुमत से पुष्टि की जायेगी।

उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिनियम की धारायें ३०क-१क और ३५ में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित किया था। उक्त अधिनियम में, कतिपय अन्य आनुषंगिक संशोधन भी किये जा रहे थे।

३. चूँकि राज्य विधानमंड़ल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत् (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन २०२२ का महा. अध्यादेश क्रमांक ५) २७ जुलाई २०२२ को प्रख्यापित किया गया था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंड़ल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित १२ अगस्त २०२२।

एकनाथ संभाजी शिंदे,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायीशक्ति के प्रयोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खंड ८. इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत किसी कठिनाई का निराकरण करने के लिये आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायीशक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप का है।

(यथार्थ अनुवाद)

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १६ अगस्त, २०२२।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई